L.A. BILL No. XXVIII OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २८ सन् २०२१।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में, अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्यागिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, २ नवम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम, में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह २ नवम्बर २०२१ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४९ का ५९ की धारा ५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, की धारा ५, की उप-धारा (२) के खण्ड (क) की **तालिका** के स्थान में, निम्न **तालिका** रखी जायेगी, अर्थात् :—

" तालिका

	जनसंख्या	पार्षदों की संख्या
(१)	(२)	(३)
(एक)	३ लाख से उपर तथा ६ लाख तक।	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या ७६ होगी। ३ लाख से ऊपर प्रत्येकी १५,००० अतिरिक्त जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त पार्षद का उपबंध किया जायेगा, तथापि, इसप्रकार, निर्वाचित पार्षदों की अधिकतम संख्या ९६ से अधिक नहीं होगी।
(दो)	६ लाख से उपर तथा १२ लाख तक।	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या ९६ होगी। ६ लाख से ऊपर प्रत्येकी २०,००० अतिरिक्त जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त पार्षद का उपबंध किया जायेगा, तथापि इसप्रकार, निर्वाचित पार्षदों की अधिकतम संख्या १२६ से अधिक नहीं होगी।
(तीन)	१२ लाख से उपर तथा २४ लाख तक।	निर्वाचित पार्षदोंकी न्यूनतम संख्या १२६ होगी। १२ लाख से ऊपर प्रत्येकी ४०,००० अतिरिक्त जनसंख्या के लिए, एक अतिरिक्त पार्षद का उपबंध किया जायेगा, तथापि, इसप्रकार, निर्वाचित पार्षदों की अधिकतम संख्या १५६ से अधिक नहीं होगी।
(चार)	२४ लाख से उपर तथा ३० लाख तक।	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या १५६ होगी। २४ लाख से ऊपर प्रत्येकी ५०,००० अतिरिक्त जनसंख्या के लिए, एक अतिरिक्त पार्षद का उपबंध किया जायेगा, तथापि, इसप्रकार, निर्वाचित पार्षदों की अधिकतम संख्या १६८ होगी।
(पाँच)	३० लाख से ऊपर।	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या १६८ होगी। ३० लाख से ऊपर प्रत्येकी १ लाख अतिरिक्त जनसंख्या के लिए, एक अतिरिक्त पार्षद का उपबंध किया जायेगा, तथापि, इसप्रकार, निर्वाचित पार्षदों की अधिकतम संख्या १८५ होगी।"।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४०।

३. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की, धारा ९ की उप-धारा (२), के खण्ड (क), की **तालिका** के स्थान में, निम्न **तालिका,** रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ९ में संशोधन।

" तालिका

नगर निगम क्षेत्रों का वर्ग		निर्वाचित पार्षदों की संख्या
(१)	(२)	(३)
(एक)	वर्ग " क "	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या ३७ होगी। तथा १,००,००० से ऊपर प्रत्येकी ८,००० जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचित पार्षद होगा, तथापि, इसप्रकार निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या ७५ से अधिक नहीं होगी ;
(दो)	वर्ग " ख "	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या २५ होगी। तथा ४०,००० से ऊपर प्रत्येकी ५,००० जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचित पार्षद होगा, तथापि, इसप्रकार निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या ३७ से अधिक नहीं होगी ;
(तीन)	वर्ग " ग "	निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या २० होगी। तथा २५,००० के ऊपर प्रत्येकी ३,००० जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचित पार्षद होगा, तथापि, इसप्रकार निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या २५ से अधिक नहीं होगी ।"।

अध्याय चार

विविध

महा. अध्या. क्र. १० का निरसन तथा व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ एतद्व्दार, निरसित किया जाता है। सन् २०२१ का महा.अध्या.क्र. १०।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनयम, १९६५ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा ५ और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्यगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) की धारा ९ निर्वाचित **साथ ही साथ** नामनिर्देशित पार्षदों को मिलाकर निगमों और परिषदों के गठन के लिए उपबंध करती है। सन् १९४९ के उक्त अधिनियम की उक्त धारा ५ की, उप-धारा (२) का खंण्ड (क) और सन् १९६५ के उक्त अधिनियम की धारा ९ की, उप-धारा (२) का खण्ड (क) संबंधित निगमों तथा नगरपालिका क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित किए जानेवाले पार्षदों की संख्या विनिर्दिष्ठ करने के लिए अनुपात का उपबंध करती है।

२. विद्यमान उपबंधों के अनुसार, निगमों में, निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या ६५ थी तथा अधिकतम संख्या १७५ थी और नगरपालिका क्षेत्रों में, निर्वाचित पार्षदों की निम्नतम संख्या १७ थी तथा अधिकतम संख्या ६५ थी।

३. निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या २०११ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आँकडों द्वारा निर्धारित की थी। कोविड-१९ के कारण, २०२१ की जनगणना के नविनतम आँकडे उपलब्ध नहीं थे। तथापि, शहरी जनसंख्या में अधिक बढ़ोत्तरी हुई है और नागरीकरण की गति भी तेजी से बढ़ रही है।

इन पहलूओं को ध्यान में रखकर, यह सुनिश्चित किया गया है कि, बहुसंख्याक जनसंख्या में निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों में निर्वाचित पार्षदों के न्यूनतम तथा तद्नुसार अधिकतम संख्या का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया था। इसलिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की उक्त धारा ५ और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की उक्त धारा ९ में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित किया गया था।

४. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत**, तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा.अध्या.क्र.१०) २ नवम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित २२ नवम्बर, २०२१।

एकनाथ शिंदे,
नगर विकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई